


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक-18.7.18


संख्या-12/विविध-6044/12-सा0प्र0- 544 /विभागीय अधिसूचना सं0-8305 दिनांक 21.06.2018 के द्वारा श्री राजबर्द्धन, बि0प्र0से0, को0 क0-1249/11 को विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अपने कार्यों के अतिरिक्त सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार) के पद से स्थानान्तरित करते हुए वरीय उप समाहर्ता, नवादा के पद पर एवं श्री हरेन्द्र राम, बि0प्र0से0 को0 क0-1282/11 को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (अपने वेतनमान में) नवादा के पद से स्थानान्तरित करते हुए सचिव (अपने वेतनमान में), राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। लेकिन उपर्युक्त दोनों पदाधिकारियों के द्वारा अब तक अधिसूचित पद पर योगदान कर प्रभार ग्रहण नहीं किया गया है। कार्य संपादन में हो रही कठिनाई के कारण जिला पदाधिकारी, नवादा एवं अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

अतः विभागीय अधिसूचना-सं0-8305 दिनांक 21.06.2018 के द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु श्री राजबर्द्धन, बि0प्र0से0 एवं श्री हरेन्द्र राम, बि0प्र0से0 को उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद से दिनांक 20.7.2018 से स्वतः विरमित किया जाता है।


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/विविध-6044/12-सा0प्र0- 544/पटना, दिनांक- 18.7.18

प्रतिलिपि-अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नवादा/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव